पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

करण संख्या : 119/12

मथुरालाल पुत्र रामलाल (मृतक) जरिये कायम मुकामान –

1. कपि कुमार पुत्र स्व. मथुरालाल
2. श्यामलाल पुत्र स्व. मथुरालाल
3. सुमित्रा देवी पुत्री स्व. मथुरालाल
4. मन्जू शर्मा पुत्री स्व. मथुरालाल
5. आशा लता पुत्री स्व. मथुरालाल
6. रीना पुत्री स्व. मथुरालाल
7. मनीषा पुत्री स्व. मथुरालाल
8. पूजा पुत्री स्व. मथुरालाल
9. प्रेमलता पत्नी स्व. मथुरालाल

जाति ब्राम्हण, निवासीगण ग्राम मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1 गिर्राज प्रसाद पुत्र रघुनाथ, जाति ब्राम्हण, निवासी मोखापाडा, कैथूनीपोल, कोटा

2 राधेश्याम शुक्ला पुत्र स्व. बृजकंवर पत्नी स्व बालकिशन, जाति ब्राम्हण, निवासी मकान नं. 18, नई कोलोनी, जीरापुर रोड, खुजनेर, जिला राजगढ (म.प्र.)

3 श्रीनाथ पुत्र स्व. श्रीमती बृजकंवर पत्नी बालकिशन, जाति ब्राम्हण, निवासी सरायकायस्थान, पाटनपोल, कोटा

4 जगदीश उर्फ जग्गू पुत्र स्व. श्रीमती बृजकंवर पत्नी स्व. बालकिशन, जाति ब्राम्हण, निवासी उण्डा मन्दिर, टिपटा, कोटा

5 गिर्राज पुत्र स्व. श्रीमती बृजकंवर पत्नी स्व. बालकिशन, जाति ब्राम्हण, निवासी मकान नं. 18, नई कोलोनी, जीरापुर रोड, खुजनेर, जिल राजगढ (म.प्र.)

6 कृष्णा बाई पत्नी बजरंगलाल पुत्री स्व. श्रीमती बृजकंवर, जाति ब्राम्हण, निवासिनी कांकरोली, तहसील नाथद्वारा, जिला उदयपुर (राज.)

7 भगवानदास पुत्र स्व. पार्वती बाई पत्नी स्व. शंभूदयाल, जाति ब्राम्हण, निवासी वैद्य शंभूदयाल, निवासी भीमगंजमण्डी थाने के पास, मैनरोड, कोटा

8 कृष्णा बाई पत्नी सुरेश पुत्री स्व. श्रीमती पार्वती बाई पत्नी स्व. शंभूदयाल, जाति ब्राम्हण, निवासिनी थाने के पास, भीमगंजमण्डी, कोटा

9 सृजन बाई पुत्री रामलाल पत्नी फूलचन्द, जाति ब्राम्हण, निवासिनी बडे सत्यनारायण जी के मन्दिर के पीछे, कैथूनीपोल, कोटा

10 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार, मण्डाना, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद बाबत विभाजन आराजी

अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(ए), 188 राज. टी. एक्ट

उपस्थिति :– श्री शंभूदयल विजय, अभिभाषक वादीगण
श्री कुंजबिहारी नागर, अभिभाषक प्रतिवादी 2,4,5,6,9

दिनांक : 24.02.2020

निर्णय

Scanned by CamScanner

की ओर से यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91(ए), 88 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।

वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

* वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 के संयुक्त खाते की आराजी वाके ग्राम मान्दलिया, नायब तहसील मण्डाना, जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 339 की 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 343 की 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 344 की 0.04 हैक्टर (गैर मुमकिन चाह), खसरा नम्बर 345 की 0.33 हैक्टर कुल 4 किता रकबा 1.29 हैक्टर स्थित है, जिस पर वादी अपने होस संभालने से आज तक बहैसियत मालिक काबिज चला आ रहा है जिसके एकमात्र खातेदार रामलाल जी थे।

* उक्त आराजी स्व. श्री रामलाल से विरासत के रूप में प्राप्त हुई है और रामलाल जी की मृत्यु राजस्थान टीनेन्सी एक्ट फोर्स में आने से पूर्व सन् 1950 में ही हो गई थी और उस समय वादी नाबालिग था। वादी के नाबालिग होने के आधार पर उनकी बडी बहिनों ने वादी के साथ गलत तौर पर अपना नाम रिकार्ड में दर्ज करवा लियाजबकि तत्कालीन कानून के अनुसार जायन्दा पुत्र को ही विरासत के रूप में मृतक खातेदार की आराजी प्राप्त हो सकती है किन्तु उक्त नाबालिग अवस्था का प्रतिवादी बृजकंवर, पार्वती बाई, गुलाब बाई, सृजन बाई ने वादी के साथ अपना भी नाम रिकार्ड में दर्ज करवा लिया, जो वादी रिकार्ड में दुरूस्ती करवा कर उपरोक्त बहिनों द्वारा गलत तौर पर दर्ज कराये गये नाम को हटवाकर सम्पूर्ण आराजी अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है और आराजी का तन्हा खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

* बृजकंवर, पार्वती बाई, गुलाब बाई तीनों वादी की बहिने है जिनका स्वर्गवास हो चुका है और उनका नाम भी रिकार्ड में 1/5, 1/5 हिस्से के रूप में गलत रूप से दर्ज कराया हुआ है।

* प्रतिवादी नं. 1 गिर्राजप्रसाद गुलाब बाई का पुत्र है और प्रतिवादी नं. 2 लगायत 6 स्व. बृजकुंवर के वारिसान है तथा प्रतिवादी नं. 7 व 8 स्व. पार्वती बाई के वारिसान है। प्रतिवादी नं. 9 सृजन बाई स्वयं मौजूद है जो वादी की बहिन है। उसका नाम भी 1/5 हिस्से के रूप में रिकार्ड में दर्ज हो रहा है जिसे वादी रिकार्ड से हटवाकर इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

* रामलाल जी की मृत्यु के बाद से निरन्तर आज तक प्रतिवादीगण ने न कभी खेत पर जाकर देखा और न कभी कोई काश्त ही की। वादी की उक्त आराजी पर सदैव तन्हा रूप से काबिज कायत चला आ रहा है किन्तु मृतका गुलाब बाई के वारिस (प्रतिवादी नं. 1) ने गुलाब बाई के स्वर्गवास के उपरान्त गलत तौर पर फोती इंतकाल खुलवाकर 1/5 हिस्से में दर्ज करवा लिया, जिसका कि उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं था, परन्तु रिकार्ड में 1/5 हिस्से में नाम दर्ज कराने के आधार पर वह 1/5 हिस्सा आराजी को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित करने पर आमादा है जिसका कि उसे कोई अधिकार नहीं है और वादी उसका नाम भी 1/5 हिस्से से हटाकर इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर सम्पूर्ण आराजी का खातेदार घोषित होकर अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादी नं. 1 को स्थाई से पाबन्द कराने का भी अधिकारी है कि वह रिकार्ड में नम दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमि को अवैध व अवैधानिक

Scanned by CamScanner

तरीके से खुर्द बुर्द नहीं करे।

इस हेतु प्रतिवादी नम्बर 1 दिनांक 15.11.2012 को कुछ लोगों को लेकर भूमि पर आया और भूमि दिखाते हुये बेचान की बात की और वादी के मना करने पर झगडा फसाद पर उतारू हुआ तथा कहा कि उसका नाम गुलाब बाई के स्थान पर इंतकाल नम्बर 413 दिनांक 05.11.2012 को खुलकर दर्ज हो चुका है और इसलिये वह जिसे चाहेगा, अपने 1/5 हिस्से की भूमि बेचान करके रहेगा और वादी की कोई भी बात मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। अतः वादी को वाद लाना आवश्यक हो गया है।

* प्रतिवादी नं. 2 लगायत 9 सहभागीदार होने से उन्हें बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। स्टेट ऑफ राजस्थान लैण्ड होल्डर होने से वाद में आवश्यक पक्षकार है, जिसके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस मियादी दो माह का प्रेषित किया जाना आवश्यक है किन्तु वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इस हेतु धारा 80(2) सीपीसी के तहत पृथक से आवेदन पत्र अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

* इस सम्बन्ध में वादी ने कई बार राजस्व अधिकारियों से भी दुरूस्ती इन्द्राज कर वादी की बहिनों के नाम गलत तौर पर रिकार्ड में दर्ज होने से उन्हें हटाकर इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया किन्तु उन्होने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के इन्द्राज दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया इसलिये भी वादी को यह वाद लाना आवश्यक हो गया है।

* प्रस्तुत वाद का वाद कारण खातेदार वादी के पिता रामचन्द्र जी के स्वर्गवास के उपरान्त वादी की बहिनों का नाम वादी के नाबालिग होने से वादी के साथ गलत तौर पर रिकार्ड में दर्ज कर देने औश्र तदुपरान्त वादी की बहिन गुलाबबाई के स्वर्गवास के उपरान्त प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा गलत तौर पर 1/5 हिस्से का फौती इंतकाल अपने नाम खुलवाकर रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने और रिकार्ड में दर्ज नाम के आधार पर भूमि का बेचान करने का प्रयास करने और वादी की बात मानने से इन्कार कर देने और राजस्व अधिकारियों द्वारा भी इन्द्राज दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय से आदेश लाने की बात कहने पर माननीय न्यायालय के न्याय क्षैत्र में दिनांक 15.11.2012 को उत्पन्न हुआ है।

* वाद की उक्त आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत वाद को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

* आराजी खसरा नम्बर 339 की 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 343 की 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 344 की 0.04 हैक्टर (गैर मुमकिन चाह), खसरा नम्बर 345 की 0.33 हैक्टर कुल 4 किता रकबा 1.29 हैक्टर वाके ग्राम मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खातेदारी से वादी की मृतक बहिन स्व. पार्वती बाई व स्व. गुलाब बाई के पुत्र गिर्राज प्रसाद और जीवित बहिन सृजन बाई का नाम खातेदारी हटाया जाकर वादी को सम्पूर्ण आराजी का तन्हा खातेदार घोषित करते हुये उक्त आराजी उसके तन्हा खाते दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड व जमाबन्दी में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे तथा फौती इंतकाल नम्बर 413 दिनांक 05.11.2012 भी निरस्त फरमाया जावे।

Scanned by CamScanner

साथ ही वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी या उसके किसी भी भाग को अवैध व गैरकानूनी तरीके से न तो खुर्द बुर्द करे और न हस्तान्तरित व विक्रय आदि करे। वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई मजाहमत एवं मदालखत नहीं करे और न ही उक्त भूमि के किसी भी भाग पर जबरन कब्जा करने और प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें।

* वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

(i) प्रदर्श–1 : विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2066–2069

(ii) प्रदर्श–2ए : प्रतिवादी–9 (सृजनबाई) द्वारा वादी (स्व. मथुरालाल) के पक्ष में किये गये हक त्यागपत्र (Release deed) की सत्यापित प्रति।

(iii) प्रदर्श–3ए : वादी (स्व. मथुरालाल) के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

3. प्रकरण दर्ज किया जाकर तलबी जारी की गई, जिसमें प्रतिवादी क्रम 1, 3, 7, 8 को सूचना हो जाने तथा इसके उपरान्त उपस्थिति का अवसर दिये जाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6^{1}(क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1, 3, 7, 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. प्रतिवादी क्रम 2, 4 लगायत 6 एवं 9 की ओर से जवाब दावा पेश कर वादपत्र के समस्त चरण संख्या 1 लगायत 9 को स्वीकार करते हुये दावा वादी डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख किया गया है। साथ ही विशेष कथन में अंकित किया गया कि टीनेन्सी एक्ट फोर्स में आने के पूर्व ही प्रतिवादी 9 व अन्य बहिनों का विवाह हो चुका था और तब से ही विवादित आराजी पर वादी का ही कब्जा चला आ रहा है और प्रतिवादी क्रम 9 व अन्य बहिनों का कोई कब्जा आराजी पर नहीं है और ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रम 2,4,5,6,9 द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द करने का भी कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है क्योंकि हम प्रतिवादी क्रम 2,4,5,6,9 द्वारा अपना हक आराजी से वादी के हक में परित्याग भी किया जा चुका है। इस प्रकार इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने के सम्बन्ध में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री कर दिया जावे। इसमें हम प्रतिवादी क्रम 2,4,5,6,9 को कोई आपत्ति नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रतिवादी क्रम 2,4,5,6,9 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किये जाने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं किये गये। वादी अभिभाषक द्वारा वादपत्र के दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गये। जिरह वादी में गवाह PW-1 वादी क्रम 1 कपि कुमार पुत्र स्व. मथुरालाल ने जिरह में कहा कि "यह बात सही है कि रामलाल जी की मृत्यु टीनेन्सी एक्ट फोर्स में आने के पहले ही हो चुकी थी। स्व. बृजकंवर, स्व. पार्वती, स्व. गुलाब बाई तीनों का उक्त जमीन में कोई हक नहीं है और ना ही वो लेना चाहती थी। कब्जा शुरू से हमारा है। इनका कभी कोई कब्जा नहीं रहा।" प्रतिवादी की ओर से उनके जवाब दावा को ही साक्ष्य के कथन मानने का निवेदन करते हुये कोई साक्ष्य, पेश नहीं किये गये।

6. प्रकरण पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपने बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवदित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पितृपुरूष स्व. रामलाल से प्राप्त पैतृक

Scanned by CamScanner

राजी है। स्व. रामलाल की मृत्यु वर्ष 1955 से पूर्व हो चुकी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में बेटों को पिता की सम्पत्ति पर पूरा हक मिला हुआ था जबकि बेटियों का सिर्फ शादी होने तक ही इस पर अधिकार था। शादी के बाद बेटी को पिता के नहीं, पति के परिवार का हिस्सा माना जाता था। इस प्रकार विवाहित महिलाओं को इस प्रावधान का अधिकार नहीं मिलता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में किये गये संशोधन अनुसार वर्ष 2005 से पुत्रियो को भी पुत्रों के समान अधिकार प्रदान किये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने के पहले ही स्व. रामलाल की मृत्यु हो चुकी थी। राजस्व विभाग के कर्मचारीगण द्वारा स्व. रामलाल की आराजी का फौती इंतकाल खोलते समय स्व. रामलाल की सभी संतानों (पुत्र व पुत्रियों) का नाम दर्ज कर दिया जबकि उस समय के कानून के मुताबिक स्व. रामलाल के पुत्र स्व. मथुरालाल का ही नाम दर्ज करना चाहिये था। विवादित आराजी पर वादी के वारिसान का ही कब्जा है। वादी की बहिनों का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा और ना ही उनके द्वारा कभी विवादित आराजी में अपने हिस्से की मांग की गई है। इसी कारण स्व. बृजकंवर व स्व. पार्वती बाई के वारिसान प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 8 द्वारा विवादित आराजी में दर्ज अपनी मॉ के हिस्से पर कभी भी अपना अधिकार नहीं जताया, जो उनकी ओर से पेश जवाब दावा से स्पष्ट है। प्रतिवादी क्रम 2, 4, 5, 6 व 9 द्वारा वादपत्र के कथन स्वीकार करते हुये इकबाली जवाब दावा पेश किया है। वादी की जीवित बहिन सृजन बाई द्वारा वादी के पक्ष में हक–त्याग पत्र आलेखित करवा दिया है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। अतः विवादित आराजी में से प्रतिवादी क्रम 1 और प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 8 की मॉ क्रमशः बृजकंवर व पार्वती बाई का नाम हटाये जाने के आदेश प्रदान करावें। वादी अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालय के गत निर्णय की नजीर RRD 1990, Page 255-257 पेश की गई। प्रतिवादी क्रम 2, 4, 5, 6 व 9 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये वादपत्र की प्रार्थना स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दावा, जवाब दावा एवं उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अवलोकन आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया, जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकरण की विवादित आराजी वादी के पिता की पैतृक आराजी थी। वादी के पिता स्व. रामलाल की मृत्यु के समय वादी नाबालिग था, इसी कारण स्व. रामलाल का फौती इंतकाल उसकी समस्त सन्तानों (एक पुत्र एवं चार पुत्रियों) के नाम खोला गया। इस इन्तकाल से व्यथित होकर होकर वादी ने विवादित पैतृक आराजी के राजस्व अभिलेख में से अपनी बहिनों (गुलाब बाई, बृजकंवर, पार्वती बाई, सृजन बाई) का हिस्सा समाप्त कर वादी को विवादित आराजी का एकमात्र खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादी की बहिनों में से गुलाब बाई, बृजकंवर, पार्वती बाई का स्वर्गवास हो चुका है तथा सृजन बाई जीवित है। स्व. बृजकंवर एवं स्व. पार्वती बाई के वारिसान तथा प्रतिवादी क्रम–9 सृजन बाई द्वारा पेश किये गये जवाब दावा में वादपत्र के कथनों को स्वीकार किया गया तथा वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। वादी की जीवित बहिन प्रतिवादी क्रम–9 सृजन बाई द्वारा संभावित विवाद की स्थिति को देखते हुये वादी के पक्ष में अपनी हिस्सा आराजी का हक–त्याग पत्र आलेखित कर

Scanned by CamScanner

कृत करवा दिया। वादी के कथनानुसार विवादित आराजी में दर्ज नाम के आधार पर सकी किसी भी बहिन ने अपने जीवनकाल में कभी भी अपने हिस्से की मांग नहीं की गई है। इस कथन की पुष्टि प्रतिवादी क्रम 2, 4, 5, 6 व 9 की ओर से पेश जवाब दावा एवं प्रतिवादी क्रम–9 द्वारा आलेखित हक–त्याग पत्र से होती है। वादी अभिभाषक द्वारा पेश नजीर RRD 1990, Page 255-257 से कोटा सरकूलर के निर्णय को उद्धृत किया गया है कि विवादित आराजी वादी के पिता स्व. रामलाल की खातेदारी में थी, जिनका देहान्त वर्ष 1950 से पूर्व ही हो गया था। उस समय तत्कालीन कोटा राज्य में उत्तराधिकार के सम्बन्ध में सरक्यूलर सं. 3 के प्रावधान प्रभावशील थे। उक्त सरक्यूलर की धारा 46 के अनुसार पुरूष खातेदार की मृत्यु पर उसकी आराजी सर्वप्रथम उसके पुत्र, पोते, पडोते व सडोते के उत्तराधिकार में जाने का प्रावधान था। बेटे पोते के न होने पर ही परिवार की महिला उसकी उत्तराधिकारी हो सकती थी। भूतपूर्व कोटा राज्य में हिन्दू विमेन राइट्स टु प्रोपर्टी एक्ट, 1937 के प्रावधान प्रभावशील नहीं थे। साथ ही विवाहित पुत्री के अधिकार अपने पति की सम्पत्ति में ही निहित माने गये है। वादी का तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 किये गये संशोधन के पूर्व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू थे। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत पिता की पैतृक आराजी में पुत्रियों का अधिकार उनका विवाह होने तक ही सीमित था, विवाहोपरान्त उक्त पुत्री के अधिकार अपने पति में निहित माने जाते थे। विवादित आराजी पर वादी और उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान का ही एकमात्र कब्जा काश्त रहा है। वादी की बहिनों अथवा उनके किसी भी वारिस का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और ना ही उनके द्वारा कभी कब्जा करने का प्रयास किया गया है।

8. उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होने के पहले ही वादी के पिता स्व. रामलाल की मृत्यु होने, वादी की बहिनों के विवादित आराजी पर कभी भी काबिज काश्त नहीं रहने, प्रतिवादी क्रम 2, 4, 5, 6 व 9 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश करने, प्रतिवादी क्रम–9 द्वारा वादी के पक्ष में हक–त्याग पत्र आलेखित करने के फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 339, 343, 344 व 345 कुल किता 4 रकबा 1.29 हैक्टर के इंतकाल नम्बर 413 दिनांक 05.11.2012 को निरस्त कर राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) से प्रतिवादी क्रम 1 तथा बृजकंवर, पार्वती पुत्रियां रामलाल का नाम हटाया जाकर वादी के वारिसान (वादी क्रम 1 लगायत 9) को सम्पूर्ण विवादित आराजी का तन्हा खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी या उसके किसी भी भाग को, किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करे और वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई मजाहमत एवं मदालखत नहीं करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार पालना किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (P.)

मथुरालाल पुत्र रामलाल (मृतक) जरिये कायम मुकामान –
1–2. कपि कुमार, श्यामलाल पुत्रान स्व. मथुरालाल
3–8. सुमित्रा देवी, मंजू शर्मा, आशालता, रीना, मनीषा, पूजा पुत्रियां स्व. मथुरालाल
9. प्रेमलता पत्नी स्व. मथुरालाल, जाति ब्राम्हण, निवासीगण ग्राम मान्दलिया, जिला कोटा – (वादीगण)

बनाम

1 गिर्राज प्रसाद पुत्र रघुनाथ, जाति ब्राम्हण, निवासी मोखापाड़ा, कैथूनीपोल, कोटा
2 राधेश्याम शुक्ला पुत्र स्व. बृजकंवर, निवासी 18, नई कोलोनी, जीरापुर रोड, खुजनेर, जिला राजगढ (म.प्र.)
3 श्रीनाथ पुत्र स्व. श्रीमती बृजकंवर पत्नी बालकिशन, जाति ब्राम्हण, निवासी सरायकायस्थान, पाटनपोल, कोटा
4 जगदीश उर्फ जग्गू पुत्र स्व. श्रीमती बृजकंवर जाति ब्राम्हण, निवासी उण्डा मन्दिर, टिपटा, कोटा
5 गिर्राज पुत्र स्व. श्रीमती बृजकंवर निवासी 18, नई कोलोनी, जीरापुर रोड, खुजनेर, जिल राजगढ (म.प्र.)
6 कृष्णा बाई पुत्री स्व. श्रीमती बृजकंवर, निवासिनी कांकरोली, तहसील नाथद्वारा, जिला उदयपुर (राज.)
7 भगवानदास पुत्र स्व. पार्वती बाई, निवासी वैद्य शंभूदयाल, निवासी भीमगंजमण्डी थाने के पास, मैनरोड, कोटा
8 कृष्णा बाई पुत्री स्व. श्रीमती पार्वती बाई, जाति ब्राम्हण, निवासिनी थाने के पास, भीमगंजमण्डी, कोटा
9 सृजन बाई पुत्री रामलाल निवासिनी बड़े सत्यनारायण जी के मन्दिर के पीछे, कैथूनीपोल, कोटा
10 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार, मण्डाना, जिला कोटा – (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 92A, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 119 / 12
निर्णय दिनांक : 24-02-2020

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री शंभूदयाल विजय एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री कुंजविहारी नागर की उपस्थिति में आज तारीख 24–02–2020 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष बहस उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 339, 343, 344 व 345 कुल किता 4 रकबा 1.29 हैक्टर के इंतकाल नम्बर 413 दिनांक 05.11.2012 को निरस्त कर राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) से प्रतिवादी क्रम 1 तथा बृजकंवर, पार्वती पुत्रियां रामलाल का नाम हटाया जाकर वादी के वारिसान (वादी क्रम 1 लगायत 9) को सम्पूर्ण विवादित आराजी का तन्हा खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी या उसके किसी भी भाग को, किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करे और वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई मजाहमत एवं मदालखत नहीं करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार पालना किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। – खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 24.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Scanned by CamScanner